बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-१ ला अंक-२८५ वा गुरूवार १५ मे २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बी. आर. गवई बने भारत के ५२ वें मुख्य न्यायाधीश, ऐतिहासिक क्षण

नई दिल्ली (संवाददाता): जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

जस्टिस गवई भारत के ५२वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं। उनकी यह नियुक्ति ऐतिहासिक महत्व रखती है, क्योंकि वे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में इस सर्वोच्च पद तक पहुँचने वाले पहले बौद्ध धर्मावलंबी हैं। इसके साथ ही, स्वतंत्रता के बाद वे दलित समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं।

मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल छह महीनों का होगा। अपने न्यायिक करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिनमें अनुच्छेद ३७० की समाप्ति को संवैधानिक ठहराना, नोटबंदी को वैध ठहराना, के. कविता को शराब नीति मामले में ज़मानत देना और 'बुलडोजर जस्टिस' का चर्चित फैसला शामिल है। जस्टिस गवई का जन्म २४ नवंबर १९६० को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्हें १४ नवंबर २००३ को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और १२ नवंबर २००५ को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। उन्होंने १६ मार्च १९८५ को वकालत की शुरुआत की थी। अपने शुरुआती करियर में उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता राजा एस. भोसले (पूर्व महाधिवक्ता और हाईकोर्ट न्यायाधीश) के साथ १९८७ तक कार्य किया, इसके बाद १९८७ से १९९० तक बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र वकालत की।

विशेष संपादकीय

बदज़ुबान मंत्री और राजनीतिक नैतिकता का पतन

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों और संसदीय परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिक जिम्मेदारियों, सामाजिक सम्मान और संवैधानिक मूल्यों का भी पाबंद है। अफ़सोस की बात है कि आज हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ कुछ मंत्री अपने ज़ुबान और बयान से न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुँचा रहे हैं बल्कि जनविश्वास को भी गहरी ठेस पहुँचा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने एक बहादुर महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अत्यंत अपमानजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इस नैतिक गिरावट की बदतर मिसाल है। ऐसी भाषा किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी अस्वीकार्य है, फिर एक राज्य मंत्री के मुख से निकलना और भी शर्मनाक है।

कर्नल सोफिया न केवल भारतीय सेना का गर्व हैं, बल्कि वह हर उस बेटी की प्रतिनिधि हैं जो देश की सेवा में अपने जज़्बे और जान की बाज़ी लगा देती है। उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग सिर्फ़ उनका नहीं, बल्कि भारतीय सेना और समस्त महिलाओं के सम्मान पर हमला है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा इस पर त्वरित संज्ञान लेना और राज्य के डीजीपी को चार घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक गरिमा का प्रमाण है। मगर प्रश्न यह है कि क्या केवल न्यायिक कार्रवाई पर्याप्त है? क्या भारतीय जनता पार्टी, जो स्वयं को 'राष्ट्रवादी' और 'संस्कारी' पार्टी कहती है, ऐसे असंस्कारी मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में स्थान देकर अपने ही दावों को झुठला नहीं रही?

भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वह केवल चुनावी जीत की दौड़ में न भागे, बल्कि अपने प्रतिनिधियों को नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित प्रशिक्षण दे। पार्टी को कठोरता से ऐसे सभी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो जनपद का दुरुपयोग करते हैं।

ऐसा व्यवहार न केवल देश की बेटियों का हौसला तोड़ता है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी यह ग़लत संदेश देता है कि सत्ता और पद, ज़ुबान और चरित्र की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर देता है।

हम मांग करते हैं कि विजय शाह जैसे व्यक्तियों को मंत्रिपद से तत्काल बर्खास्त किया जाए, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तार्किक अंजाम तक पहुँचाया जाए।

लोकतंत्र केवल वोट से नहीं, बल्कि गरिमा से ज़िंदा रहता है।

-काजी मखदूम।

बहुचर्चित पीएसआई रंजीत कासले को जमानत मंजूर

बीड़ (संवाददाता): बहुचर्चित निलंबित पीएसआई रंजीत कासले को बीड़ सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। यह मामला राज्यभर में चर्चा का विषय बना हुआ था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीड़ शहर के शिवाजी नगर पुलिस थाने में दर्ज अपराध क्रमांक ३७९/२०२३ में पीएसआई कासले पर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और धमकी जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वे इस प्रकरण में लंबे समय से जेल में थे। उनके वकील एडवोकेट शशीकांत सावंत ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

ॲड.शशिकांत सावंत

पीएसआई रंजीत कासले पर आरोप था कि उन्होंने गुंडों के साथ मिलकर कई लोगों से जबरन वसूली की और धोखाधड़ी की। अब अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है।

एडवोकेट शशीकांत सावंत ने कहा कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक द्वेष के चलते दर्ज किया गया था। उन्होंने दावा किया कि अब न्याय की जीत हुई है और अदालत के निर्णय से सच्चाई सामने आई है। इस केस को लेकर सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाए जाने की चर्चाएं भी चल रही थीं।

गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से बीड़ में यह मामला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ था। अब जब पीएसआई रंजीत कासले को जमानत मिली है, तो यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

राज्य की सभी देवस्थान इनाम जमीनों की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री पर रोक-राजस्व मंत्री बावनकुळे

रिपोर्ट: ज़मीर क़ाज़ी, मुंबई

मुंबई, १५ मई:

महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में देवस्थान इनाम जमीनें हैं, जिनका व्यापक रूप से खरीद-बिक्री का व्यवहार चल रहा है। लेकिन राज्य सरकार इन जमीनों के संबंध में एक स्पष्ट नीति तैयार कर रही है। जब तक यह नीति तय नहीं हो जाती, तब तक इन जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को रोक दिया जाए, ऐसे सख्त निर्देश राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने बुधवार को दिए हैं।

यह निर्देश मंत्रालय में पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान की जमीनों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। इस बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधायक अमल महाडिक और कोल्हापुर के जिलाधिकारी अमोल येडगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

कोर्ट या सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना रजिस्ट्री पर रोक

मंत्री बावनकुळे ने स्पष्ट किया कि देवस्थान इनाम जमीनों को लेकर राज्य सरकार एक नीति बना रही है और जब तक यह नीति लागू नहीं हो जाती, तब तक बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति या न्यायालय के आदेश के, किसी भी देवस्थान इनाम जमीन की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री नहीं की जानी चाहिए। अगर इसके बावजूद कोई रजिस्ट्री होती है, तो संबंधित दुय्यम निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

कोल्हापुर शहर और उपनगरों का सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड की मांग

बैठक में यह भी मांग की गई कि कोल्हापुर शहर का तेजी से हो रहा विकास ध्यान में रखते हुए बढ़ते गांवठाण (गांव क्षेत्र) का सर्वेक्षण किया जाए और वहां के नागरिकों को प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। इस पर मंत्री बावनकुळे ने कोल्हापुर जिले के १०० गांवों को शामिल करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। यह सर्वे डिजिटल नक्शा प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

दर्गाह विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया, १५ मई को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड अधिकारियों को एक अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया। यह याचिका देहरादून में एक पंजीकृत वक्फ संपत्ति - एक दर्गाह - को बिना सूचना गिराने के मामले में दाखिल की गई थी। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने की।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह धार्मिक स्थल वर्ष १९८२ से वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है।

दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका पक्ष माँगा और इस मामले की अगली सुनवाई १५ मई को तय की।

जस्टिस गवई ने कहा, हम इस मामले को वक्फ संशोधन अधिनियम २०२५ से संबंधित अन्य मामलों के साथ रखेंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट १५ मई को वक्फ संशोधन अधिनियम २०२५ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा।

यह अवमानना याचिका अधिवक्ता फज़ील अहमद अय्यूबी द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि दर्गाह हज़रत कमाल शाह, जिसे १९८२ में लखनऊ स्थित सनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत किया गया था, पिछले १५० वर्षों से एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रही है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को १७ अप्रैल को यह आश्वासन दिया था कि वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाले मामले में कोई अनुचित कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद २५-२६ अप्रैल की रात देहरादून में उक्त दर्गाह को बिना किसी नोटिस के गिरा दिया गया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि १७ अप्रैल के आदेश में दर्ज आश्वासन के बावजूद, न तो कथित प्रभावित पक्षों को सुना गया और न ही किसी प्रकार की पूर्व सूचना दी गई, बल्कि रात के अंधेरे में दर्गाह को तोड़ दिया गया।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के १३ नवंबर २०२४ के उस निर्णय का भी उल्लेख किया गया है जिसमें अदालत ने पूरे देश के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी संपत्ति को तोड़ने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और प्रभावित पक्ष को जवाब देने के लिए कम से कम १५ दिन का समय दिया जाए।

'ब्लैकस्टोन' का महाराष्ट्र में ५,१२७ करोड़ का निवेश; २७,५१० लोगों को मिलेगा रोजगार

रिपोर्ट: ज़मीर क़ाज़ी, मुंबई

मुंबई, १५ मई:

महाराष्ट्र राज्य सरकार और ब्लैकस्टोन समूह की कंपनियों - एक्सएसआईओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स और होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स - के बीच बुधवार को एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (चेण) पर हस्ताक्षर किए गए। यह करार राज्य के औद्योगिक और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में आधुनिक लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स के विकास के लिए किया गया है।

यह करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में हुआ। इस दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, एमआईडीसी के सीईओ पी. वेलारासू, उप सचिव लक्ष्मीकांत ढोके, ब्लैकस्टोन एडवायजर्स प्रा. लि. के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक तुहिन पारिख, प्रबंध निदेशक आलोक जैन, एक्सएसआईओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स के एमडी आशीष अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस करार के तहत महाराष्ट्र में १० से अधिक आधुनिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्क्स विकसित किए जाएंगे। इसके लिए कुल ७९४.२ एकड़ भूमि निर्धारित की गई है, जिनमें से १.८५ करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र में निर्माण होगा। इन सभी परियोजनाओं में कुल ५,१२७ करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ऋऊख) की जाएगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल २७,५१० रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे।

ये लॉजिस्टिक्स पार्क्स नागपुर, भिवंडी, चाकण, सिन्नर और पनवेल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे। ये परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल, डिजिटल अवसंरचना युक्त और रोजगार निर्माण को बढ़ावा देने वाली होंगी। ये राज्य की महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति २०२४ के अनुरूप होंगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि, यह परिवर्तनकारी साझेदारी महाराष्ट्र के नागपुर, मुंबई, पुणे और अन्य क्षेत्रों में वैश्विक मानकों के अनुसार औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारत में उत्पादन, वेयरहाउसिंग और आपूर्ति श्रृंखला उत्कृष्टता के लिए एक सशक्त आधार बनाएगा।

हज २०२५ की तैयारियाँ शुरू-काबा के गिलाफ को ३ मीटर ऊँचा किया गया

जेद्दाह: हर साल की तरह इस बार भी हज के मुबारक दिनों से पहले हरमैन शरीफैन प्रशासन ने काबा के गिलाफ (किस्वा) को ज़मीन से तीन मीटर ऊपर उठा दिया है। प्रशासन के अनुसार, इंतेजाम १५ ज़िलहज तक जारी रहेगा और गिलाफ काबा इस अवधि में ३ मीटर ऊँचाई पर रहेगा।

हरमैन शरीफैन प्रशासन ने बताया कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य हज के दौरान गिलाफ को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना है। गिलाफ का निचला हिस्सा सफेद कपड़े से ढका गया है और इसे पारंपरिक शैली में ऊपर उठाया गया है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अतीत में कुछ हाजियों द्वारा गिलाफ को छूकर उसके टुकड़े तबर्रुक (धार्मिक आस्था के प्रतीक) के रूप में काट कर ले जाने की घटनाएं सामने आई थीं, जिससे गिलाफ को नुकसान पहुँचता था। इसी कारण यह एहतियाती कदम उठाया जाता है।

इस समय दुनिया भर से लाखों हाजी मक्का मुक्करमा और मदीना मुनव्वरा पहुँच रहे हैं ताकि हज की महान इबादत अदा कर सकें। प्रशासन की ओर से हज की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

'घरकुल' के तहत मुफ्त रॉयल्टी वाली रेत ८ दिन में न दी गई तो तहसीलदार होंगे जिम्मेदार: राजस्व मंत्री बावनकुले

– ज़मीर क़ाज़ी

मुंबई, १४ मई (विशेष प्रतिनिधि):

राज्य सरकार की 'घरकुल' योजना के लाभार्थियों को निकटतम रेत डिपो से मुफ्त रॉयल्टी के तहत रेत उपलब्ध कराने के निर्देश राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि यदि लाभार्थियों को आठ दिनों के भीतर यह सुविधा नहीं मिली तो संबंधित तहसीलदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

राजस्व मंत्री के मंत्रालय में आयोजित बैठक में वित्त व नियोजन तथा मदद व पुनर्वास राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, विधायक आशिष देशमुख और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार उपस्थित थे। बैठक में बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के लिए ३० लाख 'घरकुल' प्रदान किए गए हैं और इन मकानों के लिए मुफ्त रेत देने की नीति राज्य सरकार ने अपनाई है।

रेत नहीं मिलने की शिकायतों पर सख्ती

बावनकुले ने कहा कि इन घरों के लाभार्थियों को रेत नहीं मिलने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके समाधान हेतु तहसीलदारों को समूह विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों की मदद से लाभार्थियों को घर-घर जाकर रॉयल्टी की रसीदें देना सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही इस वितरण की विधिवत रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों के पालक मंत्रियों और तहसीलदारों को संबंधित विधायकों के साथ बैठक कर मांग के अनुसार रेत वितरण करना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी मानसून सत्र में राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत न आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि कोई शिकायत आई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

५० स्थानों पर नए क्रशर की अनुमति

बैठक में कृत्रिम रेत को लेकर भी नीति पर चर्चा हुई, जिसके तहत राज्य में ५० स्थानों पर नए क्रशर की अनुमति दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को सुरक्षा देने में सरकार पीछे नहीं हटेगी और उन पर किसी भी प्रकार का हमला सहन नहीं किया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि गौण खनिज नीति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति घर बनाते समय रेत या अन्य खनिज निकालता है तो नक्शा पास करते समय ही उससे रॉयल्टी वसूली जानी चाहिए। राज्य में कुल १४० रेत डिपो हैं, जिनमें से ९१ चालू हैं। कुछ स्थानों पर रेत की चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले जालना में तहसीलदार को फायरिंग करनी पड़ी, फिर भी अधिकारियों को कार्रवाई जारी रखनी चाहिए।

विधायकों को स्टंटबाज़ी नहीं करनी चाहिए, क्या राजुरी जैसे गांवों में हुए घोटालों की होगी जांच?

नाळवंडी के सरपंच ॲड.राजेंद्र राऊत का सवाल; कहा-विधायकों के कामों का भी 'पोस्टमार्टम' करेंगे

बीड (प्रतिनिधि), १४ मई:

बीड विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा के तहत किए गए कामों की निरीक्षण यात्रा के बाद विधायक संदीप क्षीरसागर पर पलटवार करते हुए नाळवंडी के सरपंच ड. राजेंद्र राऊत ने कहा है कि अगर विधायक दूसरों के कामों की जांच कर सकते हैं, तो हम भी उनके कामों का 'पोस्टमार्टम' कर सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विधायक नवगण राजुरी जैसे गांवों में हुए बड़े भ्रष्टाचार की भी जांच कराएंगे, या केवल कुछ चुने हुए गांवों में ही जाकर स्टंट करेंगे?

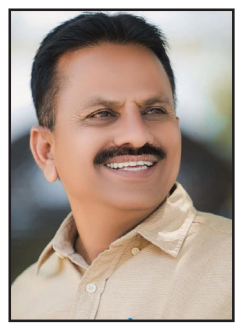

सरपंच राऊत ने स्पष्ट किया कि नाळवंडी ग्रामपंचायत ने मनरेगा के तहत सभी नियमों का पालन करते हुए कार्य किया है और इन कार्यो की पहले ही जांच हो चुकी है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बिलों का भुगतान किया गया है। आज भी वहां के रास्ते लोगों के उपयोग में हैं और गांव के किसी भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने केवल फोटोसेशन करने के लिए इन स्थानों का दौरा किया और अब चुनिंदा गांवों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या विधायक उन कामों की भी जांच कराएंगे जो उन्हीं की सिफारिश पर हुए हैं? और क्या वे अपने ही गांव में हुए फर्जीवाड़े की भी जांच शुरू करेंगे?

राऊत ने कहा कि अगर विधायक वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने करीबी पदाधिकारियों के गांवों में हुए फर्जी कार्यो की भी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। चुनाव के समय चुनिंदा गांवों में जाकर दिखावटी कार्रवाई करके जनता को गुमराह करने की कोशिश बंद होनी चाहिए। जहां कहीं भी सरकारी निधि का दुरुपयोग हुआ है, वहां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए - इस पर हमारा भी समर्थन रहेगा। लेकिन यह कार्रवाई केवल कुछ खास के खिलाफ न होकर सभी के लिए समान रूप से होनी चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर न्याय चाहिए, तो वह हर गांव को समान रूप से मिलना चाहिए।

बीड से नाळवंडी सड़क की अनदेखी पर भी सवाल

सरपंच राऊत ने पूछा कि बीड से नाळवंडी तक की ज्वलंत सड़क समस्या को विधायक कब हल करेंगे? पूरे कार्यकाल में उन्होंने इस गंभीर समस्या पर एक शब्द तक नहीं कहा, जबकि अब वे गांवों के आंतरिक रास्तों की जांच में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि जब हर बार जांच में विधायक की बात झूठी साबित हो रही है, तब भी स्टंटबाज़ी बंद नहीं हो रही।

अगर हिम्मत है तो जल जीवन मिशन के काम की जांच कराएं!

सरपंच राऊत ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत नाळवंडी में हो रहे कार्य पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यह काम पिछले दो वर्षो से धीमी गति से चल रहा है, जिससे गांव में पानी की भारी परेशानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्य में विधायक के समर्थक शामिल हैं, इसलिए इसकी जांच नहीं कराई जा रही है। उन्होंने चुनौती दी कि अगर विधायक में हिम्मत है तो इस कार्य की निष्पक्ष जांच कराएं और सच्चाई जनता के सामने लाएं।

अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने पर चीन को भारत का दो-टूक जवाब - यह भारत का अभिन्न हिस्सा है, सच्चाई नहीं बदली जा सकती

१४ मई २०२५ । संवाददाता

नई दिल्ली: चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई करते हुए अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम बदल दिए हैं। इस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए स्पष्ट किया है कि इस तरह की निरर्थक और मनमानी कोशिशों से सच्चाई नहीं बदलेगी। भारत ने बुधवार कोचीन की इस हरकत को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने का निरर्थक प्रयास किया है। हम इस तरह की कोशिशों को अपने सिद्धांतों के अनुरूप स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं।

चीन का यह दावा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी भाग है, जिसे भारत बार-बार खारिज करता रहा है। जैसवाल ने कहा कि सिर्फ नाम बदल देने से यह निर्विवाद और अटल सच्चाई नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है।

भारत ने चीन को सख्त शब्दों में संदेश देते हुए कहा कि यह राज्य भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा। सच को कोई बदल नहीं सकता।

गौरतलब है कि हाल ही में भारत द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद सीमा पर तनाव का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान की ओर से भारत में कई जगहों पर हमलों की साजिशें की गईं जिन्हें भारतीय सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर चीन अपनी उकसाने वाली गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर दावे कर के माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहा है।

कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री बनीं अनीता आनंद

दिल्लीः संवादाता

अनीता आनंद बुधवार को कनाडा की नई विदेश मंत्री की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं। लिबरल सांसद ने २०१९ में पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद में कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। मार्क कार्नी की नई सरकार के तहत विदेश मंत्री के तौर पर भारतीय मूल की सांसद की नियुक्ति कनाडा और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच हुई है। आइए अब विस्तार से जानते हैं अनीता आनंद का भारत कनेक्शन।

अनीता आनंद का जन्म १९६७ में कनाडा के पूर्वी तट पर मौजूद नोवा स्कोटिया प्रांत के केंटविले में भारतीय माता-पिता के घर हुआ था। उनके पिता तमिलनाडु से थे और उनकी मां पंजाब के जंडियाला गुरु से थीं। यह अमृतसर के बाहर एक शहर है। बताया जाता है कि वे १९५० के दशक में आयरलैंड में मिले थे, इंग्लैंड में शादी की और १९६५ में कनाडा जाने से पहले नाइजीरिया और भारत में रहे।

आनंद हिंदू और सिख कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्याद हिस्सा लेती हैं। इतना ही नहीं दिवाली की पार्टियां भी आयोजित करती हैं। उन्होंने एक बार संसद में कहा था, 'मैं एक कनाडाई हूं और मुझे अपनी पंजाबी और तमिल विरासत पर बहुत गर्व है।' पिछले साल अप्रैल में उन्होंने द ग्लोब एंड मेल से कहा, 'यह तथ्य कि मुझे नस्लीय तौर देखा गया था, कभी भी मेरी चेतना से नहीं गया। मेरे स्कूल में मेरे और मेरी बहनों जैसे दिखने वाले बहुत कम लोग थे।'

घर में घुस आया है चूहा? बिना मारे जानिए कैसे पाएं छुटकारा, १००% असरदार हैं ये तरीके

खझड की टीमों के लिए राहत भरी खबर, खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट को लेकर इउउख का आया नया निर्देश

१७ मई से फिर शुरू होगा खझड २०२५: ये है विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता पर अपडेट

अनीता आनंद का पॉलिटिकल करियर

अनीता आनंद ने क्वीन्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से दो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। उन्होंने डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन और टोरंटो यूनिवर्सिटी से इस विषय में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने २०१९ तक अपने शैक्षणिक करियर में यूनिवर्सिटी में भी कई खास भूमिकाएं निभाई हैं। २०१९ में वह कनाडा की संसद की सदस्य बनने वाली पहली हिंदू महिला बनीं और कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली हिंदू बनीं।

कनाडा में मार्क कार्नी और ड्ळलशीरश्र झरींू की जीत का भारत के लिए क्या मतलब है?

उस समय से उन्होंने कई पदों पर जनता की सेवा की है। २०२१ में वह कनाडा की रक्षा मंत्री बनने वाली दूसरी महिला बनीं। उन्होंने जुलाई २०२३ तक उस पद को संभाला। वह जुलाई २०२३ से दिसंबर २०२४ तक ट्रेजरी बोर्ड सचिवालय की अध्यक्ष थीं। इसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट और इंटरनल ट्रेड मिनिस्टर के तौर पर काम किया।

भारत-कनाडा के संबंध पर अनीता का प्रभाव

पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा के साथ भारत के संबंध खराब हो गए थे। यह हालात उस समय और भी ज्यादा बिगड़ गए जब पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने एक-दूसरे के देशों के राजदूतों को निष्कासित कर दिया। ट्रूडो द्वारा आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद संसद में बोलते हुए आनंद ने एकता और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। आनंद ने कहा कि वह ट्रूडो के साथ इस बात पर सहमत हैं कि सभी कनाडाई लोगों की सुरक्षा के लिए एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने कनाडा की इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी का बचाव करते हुए इसे सही बताया। भारत सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कि कनाडा सिख आतंकवाद के मामले में बहुत नरम है। कनाडा ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मजबूत संबंध बनाने और चीन के मुकाबले भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पूर्व विदेश मंत्री मेलानी जोली के नेतृत्व में २०२२ में इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी शुरू की थी।

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज

दिल्लीः संवादाता

कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी करने के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इंदौर के मानपुर थाने में उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है.

कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ गंभीर धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है. बुधवार (१४ मई) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.

वहीं उधर, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने विजय शाह को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है. इससे पहले वीडी शर्मा ने कहा था कि ऐसी घटनाओं पर बीजेपी आलाकमान काफी गंभीर है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी हैं और उन्होंने जो पराक्रम किया है उस पर पूरे देश को गर्व है.

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com